न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस**अपील संख्या एल आर ए/ 119/2014**

उनवान

1. कालू पुत्र देवकिशन मीणा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 76/2012 निर्णय दिनांक 30.5.2014 एवं तहसीलदार, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 363/2012 निर्णय दिनांक 17.9.2012

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री भोपाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 30.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के यहॉ पटवारी पटवार हल्का बलाण्ड ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कालू पिता श्री किशन मीणा ने संवत 2068 में ग्राम बलाण्ड की आराजी नम्बर 410 रकबा 0.02 गैर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मुमकिन कुई में पक्का मकान बना रखा है, आराजी नम्बर 409 रकबा 0.39 हे0 किस्म बंजड में से 0.01 एवं 0.07 हे, तथा आराजी नम्बर 411 रकबा 0.45 हे0 किस्म बंजड में से 0.02 हे0, एवं आराजी नम्बर 2311/456 रकबा 4.04 हे0 किस्म बंजड में से 0.09 हे0 भूमि कुल रकबा 0.19 हे0 में पक्की चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 13.2.2012 द्वारा अप्रार्थी को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए लगान का 50 गुना पैनल्टी राशि 10/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित करने तथा वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने का आदेश पारित किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा में अपील प्रस्तुत की । जहॉ बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपील प्रकरण संख्या 27/2012 अपील कालू पिता किशन मीणा बनाम राजस्थान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा मे निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार शाहपुरा के प्रकरण संख्या 53/2012 निर्णय दिनांक 13.2.2012 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.7.2012 को अप्रार्थी मय वकील उपस्थित हुए एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा । जिस पर समय दिया गया । अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार शाहपुरा द्वारा निर्णय दिनांक 17.9.2012 को निर्णय पारित करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी मानत हुए अतिक्रमण को रोकने हेतु वार्षिक लगान का 50 गुणा पैनल्टी राशि से अधिरोपित किये जाने तथा मौके पर पक्का निर्माण को ध्वस्त करने हेतु जिला कलक्टर , भीलवाडा से स्वीकृति ली जाने एवं पटवारी हल्का को विवादित आराजी से बेदखल बाबत बाबत तहरीर लिखी जाने का आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जांच कर नियमानुसार आबादी भूमि के पट्टे जारी किये गये । उसके बाद अपीलाण्ट द्वारा मौके पर मकान का निर्माण कर रहवास कर रखा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम बलाण्ड की आराजी नम्बर 409, 410,411, 2311/456 पर मकान व चारदीवारी बनाकर व कुई खुदवाकर अतिक्रमण करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मगवाये व बिना जांच करवाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि वादग्रस्त आराजी आरक्षित भूमि नहीं है एवं न ही इन आराजियात का नाप–चौप ही कराया है । जिससे साबित हो सके कि यह निर्माण अपीलाण्ट द्वारा आबाद भूमि पर करवाया गया है जिसके पट्टे अपीलार्थी के पास है अथवा बिलानाम सरकारी भूमि पर निर्माण किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मौके पर अपीलाण्ट के अलावा कम से कम 20–25 आवासीय मकान दीगर ग्रामवासियान द्वारा बना रखे हैं जो कि आबादी के रूप में विकसित होकर आबादी क्षैत्र है। यहॉ पर राजकीय विद्यालय भी बना हुआ है जो गांव के बच्चों के पढने के काम आ रहा है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया यह साबित होता है किजो मकान बना रखे हैं वह आबादी भूमि है तथा अपीलाण्ट ने मौके पर जो मकान निर्माण करा रखा है उस पर अपीलाण्ट ने लाखों रूपये खर्च किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को महज बिलानाम भूमि में मानकर अपीलाण्ट को बेदखल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट व उसका परिवार बेघर हो जायेगा । अपीलाण्ट अनुसूचित जाति का होकर गरीब परिवार है एव उसके पास अन्य कोई मकान नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवार हल्का ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 410 पर कुई खुदवाना बताया है, यह कुई सार्वजनिक नहीं होकर अपीलाण्ट के पिता ने आज से करीब 40–42 वर्ष पूर्व खुदवाई थी तभी से इस कुई का उपयोग उपभोग अपीलाण्ट व उसके परिवारजन करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व उसके भाई तथा अपीलाण्ट के पिता को जारी पट्टों को शुरू से ही निष्प्रभावी माना है जो गलत है बिना किसी आधार के पट्टे को अवैध रूप से स्वीकृत करा लेना बताया है। जो सरासर गलत है। सभी पट्टे प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी की मौजूदगी में जारी किये गये हैं जो सही है। महज राजनीतिक द्वेषतावश वर्तमान सरपंच का लडका मिलीभगत कर कार्यवाही करा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी बिलानाम नहीं होकर आबादी की भूमि है जिसके पट्टे अपीलार्थी के पक्ष में जारी किये गये हैं। उसके बाद अपीलाण्ट ने आवंटित पट्टे की भूमि पर मकान निर्माण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जांच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अपीलाण्ट का मकान बिलानाम भूमि पर नहीं होकर आबादी भूमि पर बना हुआ है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. पटवारी हल्का बलाण्ड की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बलाण्ड तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 410 रकबा 0.02 गैर मुमकिन कुई में पक्का मकान बना रखा है, आराजी नम्बर 409 रकबा 0.39 हे0 किस्म बंजड में से 0.01 एवं 0.07 हे, तथा आराजी नम्बर 411 रकबा 0.45 हे0 किस्म बंजड में से 0.02 हे0, एवं आराजी नम्बर 2311/456 रकबा 4.04 हे0 किस्म बंजड में से 0.09 हे0 भूमि कुल रकबा 0.19 हे0 में पक्की चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किया है । अपीलाण्ट ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में दिये गये बयान में यह कथन किया है कि नियमों की जानकारी नहीं होने से उसने अतिक्रमण कर पट्टा बनवा लिया है। बिलानाम आराजी नम्बर 2311/456 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म बंजड राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के नियम (3) के तहत नोटिस भी जारी किये गये हैं। अपीलाण्ट जिस पट्टे को आधार बताकर मकान बनाना कहता है वह पट्टे अपीलार्थी की पत्नि के सरपंच रहने के समय जारी किये गये है जो प्रारंभ से ही शून्य होकर निष्प्रभावी है। आराजी नम्बर 409, 411, 414, 415 बाबत पक्के मकान बने होने से उक्त आराजियात को आबादी विस्तार में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2015 को लिया गया है। जिससे इस बात की ताईद होती है कि अतिक्रमण बिलानाम भूमि पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

,भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2014 एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.9.2012 को यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 30.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा